भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1588

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

सड़क सुरक्षा

1588. श्री राजेश रंजन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या के राज्यवार विस्तृत आंकड़े क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा पर राज्यवार कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के शोक संतप्त परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) 2021 में प्रकाशित सड़क दुर्घटनाओं और चोटों पर विश्व बैंक के अध्ययन के अनुसार, भारत में दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक है।

सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" प्रकाशित करती है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 से 2022 के दौरान देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) सहित सभी श्रेणी की सड़कों पर सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की कुल संख्या नीचे दी गई है: -

वर्ष	मौतें
2020*	1,38,383
2021*	1,53,972
2022	1,68,491

* - कोविड प्रभावित वर्ष

कैलेंडर वर्ष 2020 से 2022 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में हुई मौतों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है, जबकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें राज्यीय राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए उत्तरदायी हैं। सड़क सुरक्षा प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का एक अभिन्न और अपरिहार्य घटक है। सड़क सुरक्षा पहल विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की शुरुआत के साथ आरंभ होती है क्योंकि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षा (ऑडिट), तृतीय पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव में अनिवार्य कर दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, व्यापक सड़क सुरक्षा पहलुओं के लिए खर्च किए जाने वाले आवंटित धनराशि में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए शामिल संरचनाओं के आधार पर विकास परियोजनाओं की कुल लागत की 2.21% से 15% तक भिन्नता होती है।

भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) सड़क सुरक्षा सहित राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के सभी पहलुओं के लिए मानक, दिशा-निर्देश, मैनुअल आदि तैयार करती है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मुद्दों पर नीतिगत परिपत्र भी जारी करती है। आईआरसी के ऐसे मानक, दिशा-निर्देश, मैनुअल और नीतिगत परिपत्र सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू और बाध्यकारी हैं।

(ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 161 के अनुसार केंद्र सरकार हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु के संबंध में मुआवजा प्रदान करती है। तदनुसार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना, 2022 को सरकार द्वारा साकानि 163 (अ) दिनांक 25 फरवरी, 2022 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इस योजना के तहत, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के कारण दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को दो लाख रुपये की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है।

अनुबंध

"सड़क सुरक्षा" के संबंध में श्री राजेश रंजन द्वारा दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1588 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2020-2022 के लिए सड़क दुर्घटना में हुई मौतों का विवरण

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	7,039	8,186	8,293
2	अरुणाचल प्रदेश	73	157	148
3	असम	2,629	3,036	2,994
4	बिहार	6,699	7,660	8,898
5	छत्तीसगढ	4,606	5,371	5,834
6	गोवा	223	226	271
7	गुजरात	**6,170**	**7,452**	**7,618**
8	हरियाणा	**4,507**	**4,706**	**4,915**
9	हिमाचल प्रदेश	**893**	**1,052**	**1,032**
10	झारखंड	**3,044**	**3,513**	**3,898**
11	कर्नाटक	**9,760**	**10,038**	**11,702**
12	केरल	**2,979**	**3,429**	**4,317**
13	मध्य प्रदेश	**11,141**	**12,057**	**13,427**
14	महाराष्ट्र	**11,569**	**13,528**	**15,224**
15	मणिपुर	**127**	**110**	**127**
16	मेघालय	**144**	**187**	**162**
17	मिजोरम	**42**	**56**	**113**
18	नागालैंड	**53**	**55**	**73**
19	ओडिशा	**4,738**	**5,081**	**5,467**
20	पंजाब	**3,898**	**4,589**	**4,756**
21	राजस्थान	**9,250**	**10,043**	**11,104**
22	सिक्किम	**47**	**56**	**92**
23	तमिलनाडु	**14,527**	**15,384**	**17,884**
24	तेलंगाना	**6,882**	**7,557**	**7,559**
25	त्रिपुरा	**192**	**194**	**241**
26	उत्तराखंड	**674**	**820**	**1,042**
27	उत्तर प्रदेश	**19,149**	**21,227**	**22,595**
28	पश्चिम बंगाल	**5,128**	**5,800**	**6,002**
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	**14**	**20**	**19**
30	चंडीगढ़	**53**	**96**	**83**
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	**64**	**76**	**90**
32	*दिल्ली*	**1,196**	**1,239**	**1,461**
33	जम्मू एवं कश्मीर $	**728**	**774**	**805**
34	लद्दाख	**लागू नहीं**	**56**	**62**
35	लक्षद्वीप	**0**	**1**	**2**
36	पुदुचेरी	**145**	**140**	**181**
कुल (संपूर्ण भारत)		**138,383**	**153,972**	**168,491**

नोट- $ इसमें वर्ष 2020 के लिए लद्दाख का डेटा शामिल है।

*****